संख्या- 11/2026/I/1317352/2026/46-1002(001)/2/2025

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 05 मई, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर हेतु मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49/लेखा-बजट/205/2026-27, दिनांक 17.04.2026,के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर को अनुदान संख्या-023 गन्ना विकास विभाग(गन्ना) के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 108-वाणिज्यिक फसलें, 03-गन्ना, 0301-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को सहायता, 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद** में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्राविधानित धनराशि रू.2498.18 लाख के सापेक्ष रू.2498.18 लाख **(रुपये चौबीस करोड़ अट्ठानवे लाख अट्ठारह हजार मात्र)** का निम्न विवरण के अनुसार वेतन मद में आहरित करने तथा यथावश्यकता निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को उपलब्ध कराने के लिये आपके निर्वतन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27 प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2026-27 हेतु मांग
	31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)		
1.	वेतन	1046.33	1046.33
2.	महँगाई भत्ता	936.98	936.98
3.	पेंशन/आनुतोषिक/सेवानिवृत हितलाभ	506.80	506.80
4.	मकान किराया भत्ता	8.07	8.07
	योग-	2498.18	2498.18

(रुपये चौबीस करोड़ अट्ठानवे लाख अट्ठारह हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों:-

(1) उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के संबंध में प्रस्तर-2(5) में निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है:-

"जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद ''31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)'' के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी। यदि संस्थाओं के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।"

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है ।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) धनराशि का आहरण केवन तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा। धनराशि उक्त सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) संस्था द्वारा वेतन का भुगतान वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व संस्था के निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर व वित्त नियंत्रक का होगा तथा समय-समय पर बजट व्यय की समीक्षा भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन कार्यों/मदों हेतु धनराशि दी जा रही है, वह धनराशि उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये, तो सन्दर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

(11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (चीनी आयुक्त) इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

2- उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-023 गन्ना विकास विभाग(गन्ना) के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 108-वाणिज्यिक फसलें, 03-गन्ना, 0301-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को सहायता,-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद** के नामे डाला जायेगा ।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के **कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026** में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

सलंग्नकः – यथोक्त।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)

संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकंदारी) प्रथम / द्वितीय उ. प्र. प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला कोषागार, शाहजहाँपुर ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ. प्र.
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग - 6 / वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)

संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।